राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
State Level Bankers' Committee, Jharkhand

संयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड

संयोजक: बैंक ऑफ इण्डिया

पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2025-26/01 **दिनांक : 03/04/2025**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 90वीं त्रैमासिक (दिसम्बर 2024) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 14.02.2025 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 90वीं॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है, साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.org) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

सी. गोपाला कृष्णा

उप महाप्रबंधक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संगलन:- उपरोक्त अनुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक: 14-02-2025

स्थान– प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 90वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 90वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 14-02-2025 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में आयोजित की गई। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री पी॰आर राजगोपाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार, श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की सम्मालित हुए। उक्त बैठक में निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार, श्री अंजनी कुमार ठाकुर, मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री अशोक कुमार पाठक, एस॰एल॰बी॰सी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक, श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार, एस॰एल॰बी॰सी के उप महाप्रबंधक, श्री सी एच गोपाला कृष्णा एवं भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय की उप महाप्रबन्धक श्रीमति अनामिका शर्मा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री गौतम कु॰ सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रभास बोस, कैनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री सुजीत कुमार साहू एवं अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक का औपचारिक शुभारंभ मंचासीन गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ, जिसके पश्चयात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की 90वीं पुस्तिका का विमोचन गणमान्यों द्वारा किया गया, तत्पश्यात्त नाबार्ड रांची द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संकलित, स्टेट फोकस पेपर का विमोचन भी इसी पटल से गणमान्यों द्वारा किया गया।

बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः रहे-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-

सर्वप्रथम श्री कुमार ने माननीय वित्त एवं कृषि मंत्री, झारखण्ड सरकार, सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को राज्य की बैंकिंग गतिविधियों को निरंतरता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया तथा इस क्रम मे वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सदन को बताया कि, राज्य का ऋण जमा अनुपात साल दर साल (Y-O-Y) 10.50 प्रतिशत से बढ़कर 51.13 प्रतिशत तक पहुंच गया है तथा राज्य ने 31.12.2024 तक अपनी कुल वार्षिक ऋण योजना का 73 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों से मार्च 2025 के अंत तक एसीपी लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया साथ ही साथ उम्मीद जताई कि इस लक्ष्य को राज्य बचे हुए समय में हासिल कर लेगा।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- श्री कुमार ने कहा कि बैंक, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होने बताया कि विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को परिवार के मध्य में रखकर योजनाओं को कार्यान्वित करने कि कोशिश राज्य के बैंक द्वारा की जा रही है क्यूंकि अगर इन योजनाओं से महिलाएं सशक्त होती हैं तो सम्पूर्ण परिवार का आर्थिक उद्धार संभव है साथ ही इन छोटे प्रयासों से गाँव और राज्य के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सदन को कृषि ऋण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 31.12.2024 तक राज्य के बैंकों ने केसीसी फसल ऋण के तहत दिये गए 8,620 करोड़ के सहित फार्म क्रेडिट के तहत कुल 17,815 करोड़ वितरण किए हैं, वहीं कृषि सहायक गतिविधियों के तहत 4,219 करोड़ किए गए हैं। इसी तरह से कुल कृषि क्षेत्र में (फार्म क्रेडिट + कृषि सहायक ऋण) के अंतर्गत 22,035 करोड़ का ऋण वितरित हुआ है। उन्होने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 31.03.2020 तक स्टैंडर्ड केसीसी फसल ऋण में 2,00,000 तक के बकाया राशि को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत माफ की जा रही है किन्तु ज़्यादातर किसानों के KCC खाते जो 31.03.2020 को स्टैंडर्ड थे उनमें पिछले 3 से 4 सालों मे ब्याज लग जाने और उनका भुगतान नहीं होने के कारण ज़्यादातर खाते NPA हो चुके हैं, उन्होने उदाहरण स्वरूप बताया कि बैंक ऑफ इंडिया मे 4.25 लाख KCC accounts मे से 2.07 लाख केसीसी खाते एनपीए हैं, वो भी ऋण माफी के तहत पैसे आ जाने के बाद। उन्होने बताया कि एनपीए कि राशि और बड़ी होती अगर कुछ बैंक केसीसी NPA लोन Prudentially राइट ऑफ नहीं कर रहा होता।

  श्री कुमार ने आगे बताया कि अभी तक झारखंड राज्य मे 14.58 लाख केसीसी खाते हैं, जिनमें 8.62 लाख खाते एनपीए हो चुके हैं किन्तु, ऐसी परिस्थिति मे भी सभी बैंकों ने इस साल यानि 31.12.2024 तक 17,050 केसीसी ऋण प्रदान किए है साथ ही कुल एग्रिकल्चरल लोन की राशि Rs 22,035/- करोड़ तक वितरित किए हैं। उन्होने आगे बताया कि पुराने केसीसी खाते को renew किया जा सकता है अगर किसान overdue amount का भुगतान करते हैं। उन्होने कहा कि एनपीए खातों के resolution बैंकों के NPA Resolution Scheme के तहत एक साल से पुराने केसीसी एनपीए खातों का निपटारा मात्र 10 से 30 प्रतिशत तक की राशि जमा करके की जा सकती है तथा उन्हें केसीसी की नई लिमिट नई scale of finance के आधार पर पुनः दी जा सकती है, क्यूंकी अधिकांशतः खाते या तो NPA है या overdue कि स्थिति में हैं और जबतक इन खातों को ठीक नहीं किया जाता, ऐसी परिस्थिति में किसान केसीसी लोन से वंचित रह जा रहे हैं। महाप्रबंधक एसएलबीसी ने कहा कि स्टैंडर्ड केसीसी खातों कि स्थिति भी अच्छी नहीं है क्यूंकी अधिकतर खातों मे ब्याज का भुगतान ही नहीं हुआ है और 36 महीने पूरे होते ही अधिकांशतः खाते NPA मे परिवर्तित हो जाएंगे जिसका अर्थ यह है कि राज्य के किसानों के पास पर्याप्त राशि नहीं है जिससे वे बैंकों के ब्याज का भी भुगतान कर सके।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री मनोज कुमार ने सदन में बताया कि किसानो को त्वरित भुगतान करने पर 0 प्रतिशत पर 3.00 लाख तक के केसीसी ऋण प्रदान किए जा रहे थे, जिसे इस बार के केन्द्रीय Budget में बढ़ा कर 5 लाख कर दिया गया है। उन्होने कहा कि समस्या यह है कि वर्तमान में मात्र 1.00 लाख रुपये तक का ऋण एलपीसी के बिना, 1.00 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये का ऋण LPC के आधार पर और उससे ऊपर LPC plus Mortgage के आधार पर वितरित किया जा रहा है, किन्तु उन्होने कहा कि Equitable Mortgage तभी संभव है जब Title deed किसानों के पास हो, किन्तु ज़्यादातर किसानो के पास पट्टा और रेविन्यू रशीद ही होता है, जिसके आधार पर दूसरे राज्यों मे बैंक के favour मे

CO/ रजिस्ट्रार कार्यालय मे चार्ज register कर लिया जाता है और किसानो को उनकी योग्यता के आधार पर अधिकतम लिमिट दे दी जाती है किन्तु झारखंड राज्य में ऐसी सुविधा व्यवहार मे नहीं है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने किसानों के केसीसी ऋण को पुनर्वित्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे कार्यो से सभा को अवगत कराया और बताया कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य के सभी गांवों में नोटिस वितरित कर एफडीएलसी सह केसीसी शिविर आयोजन किये जा रहे हैं, जहाँ किसानों को केसीसी ऋण पुनर्वित्त करवाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। उन्होने बताया कि किसानों को, जिनके केसीसी एनपीए हो गए है, उन्हें बैंक के विशेष स्कीम के तहत मात्र बकाया राशि का 10 से 30 प्रतिशत का भुगतान करके पुराने केसीसी खाता को बन्द करने की सलाह दी जा रही है, ताकि इन किसानों को नए केसीसी ऋण के साथ पुनर्वित्त किया जा सके। उन्होने सभा को ये भी बताया की बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों की किस प्रकार लाभ मिल सकता है इसकी जानकारी भी बैंक द्वारा शिविर में दी जा रही है।

  श्री कुमार ने वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक ऑफ इंडिया को 75 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड की आभार व्यक्त की तथा सभी बैंकों से केसीसी ऋणों के पुनर्वित्त करने तथा शून्य प्रतिशत पर किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपना ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने महिला स्वयं सहायता समूह का मुद्दा उठाया और सदन को बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह किस तरह से अपने फंड का उपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को जो working capital सीमा मंजूर कर रहे हैं प्रायः उसका उपयोग फसल के मौसम में उनके पति द्वारा किया जा रहा है जिनका खुद का खाता एनपीए है, जबकि बैंक ने महिलाओं को आजीविका विकसित करने के लिए ये पूंजी मंजूर की है। उन्होने बैंकों से एसएचजी द्वारा उपयोग किए जा रही राशि पर ध्यान देने तथा राशि का सही इस्तेमाल करने हेतु महिलाओं को जागरूक करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

अपने अभिभाषण के अंत में श्री कुमार ने **RBI,** राज्य सरकार**, NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख) निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली श्री अंजनी कुमार ठाकुर का सम्बोधन-

- श्री ठाकुर ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि 90वीं एसएलबीसी बैठक का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है साथ ही उन्होने इतने कम समय में 90वीं एसएलबीसी बैठक आयोजित करने के लिए एसएलबीसी को बधाई दी और आशा जताई कि पिछली बैठक से संबंधित सभी कार्यवाही बिंदु वार पूरे कर लिए गए होंगे।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- श्री ठाकुर ने सदन को बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग प्रत्येक एसएलबीसी के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करता है, जो एसएलबीसी की बैठक में भाग लेकर विभिन्न सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर, विभागों को अपने इनपुट प्रदान करते हैं तथा राज्यों में विभिन्न बैंकों द्वारा की गई वित्तीय समावेशन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखते है ।

उन्होंने बताया कि डीएफएस के नोडल अधिकारी, डीएफएस के वित्तीय समावेशन प्रभाग द्वारा प्रदान की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के लीड बैंक योजना परिपत्र द्वारा निर्देशित होते हैं जहाँ उन्हें बैंकिंग नेटवर्क, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल ऑनबोर्डिंग जैसी मानकों के विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना होता है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री ठाकुर ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर बात रखी। उन्होंने कहा कि इस योजना की निगरानी उच्चतम स्तर से की जा रही है और वित्तीय सेवा विभाग सभी हितधारकों के साथ इस योजना की नियमित समीक्षा कर रहा है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य 75,021 करोड़ रुपये की लागत से एक करोड़ घरों में solar rooftop स्थापित करना है।

  श्री ठाकुर ने कहा कि, यह देखा गया है कि हमारे प्रयासों के बावजूद भी इस योजना के तहत ऋण प्रवाह अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई इसलिए उन्होंने एसएलबीसी से आग्रह किया कि वे ***प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आगामी एसएलबीसी बैठक में एजेंडा के रूप में रखें और झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को एसएलबीसी कि बैठक में आमंत्रित करें ताकि योजना की समीक्षा की जा सके।***

  (एक्शन- एसएलबीसी)

- निदेशक डीएफएस ने PMSVANidhi योजना के तहत बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नियमित समीक्षा और Collateral Security की आवश्यकता न होने के बावजूद भी बैंक द्वारा चुने गए आवेदन में भी संपूर्णतःऋण वितरित नहीं किए गए हैं। उन्होंने बैंकों को उपरोक्त योजना में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों को निपटाने की सलाह दी।

  (एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर ने बताया कि देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों में डीएफएस द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) चलाया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य में 19 आकांक्षी जिले शामिल हैं, जहां सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक की जानी है। उन्होंने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि वे एलडीएम और संबंधित डीएफएस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभ्यास को फरवरी 2025 के अंत तक पूरा करें। उन्होंने उपरोक्त अभ्यास के पूरा होने के बाद सभी हितधारकों के साथ एक समीक्षा बैठक करने की बात कि और उक्त बैठक मे वित्त मंत्रालय के विभिन्न फ़्लैगशिप योजनाओ के प्रगति पर भी चर्चा एवं समीक्षा की जाने कि बात कही ।

  (एक्शन- एसएलबीसी)

- श्री ठाकुर ने राज्य में RSETI के महत्व के बारे में बताया और राज्य में RSETI की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया ताकि ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित दिया जा सके तथा राज्य में स्वरोजगार को भी बढ़ाया जा सके। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के पास कम संख्या में RSETI होने कि बात रखी और इन बैंकों से राज्य में RSETI की संख्या को बढ़ाने का आग्रह किया।

  (एक्शन- भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक)

ग) <u>व्यवसायिक सत्र</u>

व्यावसायिक सत्र का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, श्री रौशन चौधरी द्वारा किया गया, इस सत्र में श्री चौधरी ने सभा अध्यक्ष श्री पी॰ आर राजगोपाल एवं अन्य गणमान्यों की सहभागिता से सभी बैंक व अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों की समीक्षा की। व्यावसायिक सत्र के दौरान निकले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दे निम्नलिखित रहे:

- श्री चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य की जमा राशि में साल दर साल 9.38 प्रतिशत, अग्रिम में 20.86 प्रतिशत और ऋण जमा अनुपात में 10.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- उन्होंने सदन को आगे बताया कि पिछले वर्ष यानि 30-12-2023 की तुलना में **31 दिसम्बर 2024** तक राज्य ने साल दर साल **ACP** लक्ष्यों की प्राप्ति में वृद्धि आई है, जैसे की कुल एसीपी में 21.62 प्रतिशत, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 11.56 प्रतिशत, गैर प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 30.27 प्रतिशत, कृषि ऋण के तहत 16.60 प्रतिशत और एमएसएमई के तहत 12.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कि गयी है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि अटल पेंशन योजना नामांकन में पिछले वर्ष दिसम्बर 2023 की तुलना में इस वर्ष 25.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पीएमजेडीवाई खातों में 6.00 प्रतिशत और **Weaker Section** के खातों में 8.65 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
- उन्होंने कहा कि राज्य में साल दर साल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (**NPA**) में 7.56 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जिससे पता चलता है कि पिछले वर्ष की दिसम्बर तिमाही की तुलना में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- एसएलबीसी के वरिष्ठ प्रबंधक ने राज्य सरकार के समक्ष लंबित निम्नलिखित मुद्दे सभा में रखे तथा राज्य सरकार से इनके जल्द निपटान का आग्रह किया -
    - श्री चौधरी ने **CNT/SPT** अधिनियम पर सभा का ध्यान आकर्षित किया, उन्होने ने कहा कि इस राज्य के ऋण प्रवाह की मुख्य बाधा **CNT/SPT** अधिनियम बने हुए हैं, उन्होने कहा कि भूमि बंधक न हो पाने के कारण, न केवल बड़े उद्योग ऋण अपितु खुदरा आवास ऋण बढ़ाना भी बैंकों के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। जिस भूमि पर बड़े कारोबार स्थापित होने चाहिए, उस भूमि कि उपयोगिता छोटे कारोबार जैसे नर्सरी इत्यादि तक ही सीमित रह गयी है।
    - स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता अध्याय शामिल करना: श्री चौधरी ने बताया की स्कूल पाठ्यक्रम में 70 में से 37 अध्याय शामिल किये जा चुके है। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि शेष अध्यायों को भी यथाशीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।
    - श्री चौधरी ने कहा की बैंकों के पास बंधक रखी जाने वाली सभी सम्पत्तियों पर बैंक **के चार्ज / अधिकार की नोटिंग विशेषकर ऑनलाइन पद्धति से यदि रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाय तो इससे पारदर्शिता आएगी।**
    - उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि बिना भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (**LPC**) के केसीसी की सीमा 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये कर दी जाये। उन्होंने आगे बताया कि आरबीआई के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, बैंक संपत्ति को गिरवी रखे बिना 2.00 लाख रुपये तक के केसीसी का वित्तपोषण कर सकते हैं, जो सीमा पहले 1.60 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि सीमा वृद्धि से किसानों को केसीसी के तहत अधिक राशि प्राप्त होने में मदद मिलेगी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- श्री चौधरी ने सदन को एस.एल.बी.सी. उपसमिति की बैठकों में चर्चा किए गए प्रमुख कार्य बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि **Steering Committee** पर एस.एल.बी.सी. उपसमिति की बैठक में सभी बैंकों और एल.डी.एम. को सभी बैठकों की **Action Taken Report** बिन्दुवार तरीके से प्रदान करने की सलाह दी गई साथ

ही उक्त **Report** को बैंकों के राज्य प्रमुखों के हस्ताक्षर द्वारा हीं एसएलबीसी को उपलब्ध करने की आग्रह की ताकि एसएलबीसी उपसमिति के जो मुद्दे हैं वो राज्य प्रमुखों के संगज्ञान में भी रहे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- एसएलबीसी उप-समिति की बैठक में उठाए गए प्रमुख बिंदुओं से सदन को अवगत कराया गया, जिसमें सभी बैंकों को अपने निष्क्रिय बीसी को सक्रिय करने की सलाह दी गई, विशेष रूप से फिनो पेमेंट बैंकों को, जिनके निष्क्रिय बीसी की संख्या में वृद्धि हुई है।

  भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि फिनो पेमेंट बैंक का झारखंड राज्य में सर्वाधिक निष्क्रिय बीसी है। उन्होंने यस बैंक को निष्क्रिय बीसी के प्रतिशत में कमी लाने के लिए सराहना की और फिनो पेमेंट बैंक से उनके निष्क्रिय बीसी को कम करने की रणनीतियों के बारे में पूछा।

  बैंक प्रतिनिधि ने बताया कि निष्क्रिय बीसी से संबंधित डाटा टीम को भेज दी गई है तथा आगामी तिमाही तक में इस पर प्रगति दिखाई देने का अनुमान है।

  भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने बैंकों को सलाह दी कि वे एक समयसीमा के साथ एक रणनीति बनाएं और उसे एसएलबीसी को सौंपें कि बैंक निष्क्रिय बीसी के आंकड़े में किस प्रकार सुधार करेगा।

  (एक्शन- फिनो पेमेंट बैंक)

- सदन को अवगत कराया गया कि पीएफआरडीए ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अटल पेंशन योजना के लिए 2,56,495 नए नामांकन का लक्ष्य झारखण्ड राज्य को आवंटित किया है, जिसमें से राज्य में 31.12.2024 तक 3,36,064 नए नामांकन किए गए हैं, जो लक्ष्य का 131 प्रतिशत है।

  भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने निजी क्षेत्र के बैंकों को भी अटल पेंशन योजना में योगदान देने तथा अपने-अपने मुख्यालयों के साथ परामर्श कर झारखंड राज्य में सारी **Social Security Schemes** में सुधार लाने की रणनीति बनाने और उसे एसएलसीबी को उपलब्ध कराने की सलाह दी।

  (एक्शन- निजी क्षेत्र के बैंक)

- श्री पी आर राजगोपाल ने राज्य में निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा की निजी क्षेत्र के बैंकों की **Deposit Market Share** राज्य में 20 प्रतिशत तक पहुँच गई है, इसलिए इन बैंकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण पर भी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

  (एक्शन- निजी क्षेत्र के बैंक)

- निदेशक, डीएफएस ने सदन में वित्तीय समावेशन योजनाओं के महत्व के बारे में बात की और कहा कि **PMJDY** खाते वर्ष 2014 में प्रारम्भ किए गए थे, हालांकि, राज्य में निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंकों का योगदान इसके अंतर्गत केवल 1.83 प्रतिशत है। उन्होंने इन बैंकों से एसएलबीसी की अगली बैठक तक **PMJDY** खातों में सुधार लाने का आग्रह किया।

  (एक्शन- निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक)

- बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य पर चर्चा की गई और बताया गया कि झारखंड राज्य ने 31.12.2024 तक कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अपने कुल **ANBC** का 14.68 प्रतिशत ही प्राप्त किया है, जो **RBI** के 18 प्रतिशत के मानक से कम है।

  श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि या तो बैंक अपने कृषि ऋण खातों को गलत तरीके से वर्गीकृत कर रहे हैं या वे कृषि संबन्धित गतिविधियों के तहत कम ऋण स्वीकृत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धि 18 प्रतिशत से कम है। उन्होंने **SBI, UBI, PNB, UCO, BOB,**

CANARA, PSB, IDBI, HDFC और **ICICI** बैंक को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत अधिक वित्तपोषण पर रणनीति बनाने और एसएलबीसी को प्रस्तुत करने की सलाह दी ताकि राज्य में 18 प्रतिशत के बेंचमार्क को हासिल किया जा सके।

(एक्शन- ऊपर दिये गए समस्त बैंक)

- राज्य में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों **(NPA)** की स्थिति पर चर्चा की गई, जहां बताया गया कि 31.12.2024 तक राज्य में सकल एनपीए 7,428 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष कि दिसंबर तिमाही के तुलना में 718 करोड़ रुपये की वृद्धि को दर्शाता है।

  भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने एनपीए में वृद्धि के मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के साथ साथ बैंकों को स्वीकृत किए जा रहे ऋण की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होने **PMEGP** ऋण के तहत उपलब्ध होने वाली सब्सिडि पर भी अपनी बात रखी और कहा की **KVIC** विभाग को **Margin Money** वितरण में हो रही विलंब पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बैंक अपने **NPA** को घटा सके।

  केवीआईसी के निदेशक ने सदन को बताया कि हाल ही में विभाग ने 4.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है और विभाग शेष सब्सिडी जारी करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के संपर्क में है।

(एक्शन-KVIC)

- आरबीआई की **Lead Bank Scheme** के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि बैंकों को तिमाही समाप्ति के अगले महीने की 15 तारीख तक एसएलबीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है किन्तु **यस बैंक**, **इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक** द्वारा एसएलबीसी को दिसम्बर तिमाही की मैन्युअल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

  भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने उपर्युक्त बैंक के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि एसएलबीसी की बैठक बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर की जाती है साथ ही उन्होने बैंकों को निर्धारित समय के भीतर एसएलबीसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी।

(एक्शन- ऊपर दिये गए समस्त बैंक)

- झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष द्वारा **DRT** में मामलों में हो रही अत्यधिक देरी का मुद्दा सभा के समक्ष रखा। उन्होंने सभा से अनुरोध किया कि मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सभा के ओर से **DRT** को पत्राचार किया जाने कि आवश्यकता है।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- सदन में **Collateral Free** कृषि ऋण के विस्तार का एजेंडा उठाया गया, जहां बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 दिसंबर, 2024 को सभी बैंकों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि कृषि ऋण के साथ साथ कृषि संबन्धित गतिविधियों के लिए **Collateral Free** ऋण की सीमा प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- बैठक में खातों में पुनः केवाईसी से संबंधित मुद्दे को उठाया गया और बताया गया कि झारखंड राज्य में आरबीआई और एसएलबीसी नियमित रूप से समीक्षा कर बैंकों से पुनःकेवाईसी के आंकड़े को बेहतर बनाने का सामूहिक प्रयास कर रही हैं। 31.12.2024 तक के आंकड़ो के अनुसार सभी बैंकों ने सामूहिक रूप से राज्य में 4.25 लाख खातों का केवाईसी अपडेट किया है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- सदन को बताया गया कि वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को इस बैठक में एजेंडा में रखा गया है तथा सभी हितधारकों को योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई तथा समस्त बैंक को इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का आग्रह किया गया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- कारोबारी सत्र के अंत में, **CKYCR** की विशेष एजेंडे पर जानकारी प्रदान कि गई और सदन को बताया गया कि बैंकों को सुझाव दिया गया है कि वे ग्राहक की पासबुक में **CKYC-R** आईडी प्रिंट करें और बैंक शाखाओं में **CKYC-R** मिस्ड कॉल नंबर वाला बैनर प्रदर्शित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

घ) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार का सम्बोधन-

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर के इतिहास पर संक्षेप में बात की, जिसे पहली बार वर्ष 1990 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने सदन को नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर के तैयार होने कि प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बताया कि नाबार्ड के जिला स्तरीय डीडीएम जिला स्तर के हितधारकों से परामर्श कर पीएलपी तैयार करते हैं और आगे इन पीएलपी को राज्य स्तर पर समेकित कर अंत में स्टेट फोकस पेपर के तौर पर राज्य स्तर पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री जहागीरदार ने सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएलपी 88,303.77 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 54008 करोड़ रुपये था। उन्होंने झारखंड राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत संभावनाएं होने कि बात रखी और बताया कि प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल पीएलपी में से, कृषि ऋण के लिए 23,752 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें फसल ऋण के लिए 10,143 करोड़ रुपये आवंटित हैं, जो कुल पीएलपी का 11 प्रतिशत है और **agriculture term loan** के लिए 11,378 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने **PACs** के माध्यम से किसानों के वित्तपोषण करने तथा व्यक्तिगत तौर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के मुद्दे पर अपनी बात रखी साथ ही राज्य में किसानों को शिक्षित करने और कृषि ऋण प्रदान करने के लिए अभियान चलाने पर अपनी बात सभा के समक्ष रखी।

(एक्शन- राज्य सरकार एवं समस्त बैंक)

- श्री जहागीरदार ने सरकार से जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए जल संचयन से संबंधित परियोजनाएं शुरू करने का आग्रह किया ताकि राज्य में दूसरी और तीसरी फसल को बढ़ावा मिल सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने सदन को नाबार्ड द्वारा 400 वर्ग फुट से कम क्षेत्र में छोटे पैमाने पर शेड नेट खेती के लिए शुरू की गई पायलट परियोजना के बारे में जानकारी दी, जिसमें ब्रोकोली, लेट्यूस आदि जैसी **exotic** सब्जियों की खेती की जाती है। उन्होंने राज्य सरकार से छोटे शेड नेट के तहत **exotic** खेती करने वाले किसानों के लिए सब्सिडी से जुड़ी योजना पर विचार करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ श्री जहागीरदार ने राज्य में भंडारण क्षमता की कमी का मुद्दा सभा के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में कुल 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होती है और राज्य में भंडारण क्षमता लगभग 5 लाख मीट्रिक टन ही है, इसलिए शेष खाद्यान्न या तो दूसरे राज्यों में संग्रहीत किया जा रहा है या संग्रहीत नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, वेयरहाउसों के लिए वित्त पोषण का अच्छा अवसर है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री जहागीरदार ने कोकून की खेती करने वाले किसानों के लिए खुली नीलामी घर **(open auction house)** की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में उत्पादित तसर का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन झारखंड राज्य से आता है, किन्तु किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण तंत्र के अभाव में किसान अपने कोकून को उचित मूल्य पर बेचने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से कोकून किसानों के लिए भंडारण सुविधा के साथ खुली नीलामी घर की स्थापना करने का आग्रह किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने झारखंड राज्य में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य में तालाब और जलाशय कि उपलब्धता काफी ज्यादा होने के बावजूद राज्य में मछली पालन कि गतिविधि की संख्या इसके अपेक्षित नग्न है। उन्होने कहा कि विशेष रूप से **cage fishing, biofloc** और **recirculating aquaculture system** का राज्य में बहुत संभावनाएं हैं; इसलिए, उन्होंने बैंकों से इसके तहत वित्त पोषण करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ एमएसएमई इकाइयों को वित्त पोषण करने के मुद्दे पर बात करते हुए श्री जहागीरदार ने कहा कि राज्य में सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के कार्यान्वयन से राज्य के एमएसएमई इकाई को वित्तपोषण करने में बाधा आ रही है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज्य सरकार से झारखंड राज्य में भूमि बैंक (**Land bank**) और ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट (**Rural Industrial Estate**) को विकसित करने का सुझाव दिया ताकि एमएसएमई इकाइयां आसानी से स्थापित की जा सकें और इन इकाइयों को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान किया जा सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने एमएसएमई के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा **State Focus Paper** के तहत प्रस्तावित लक्ष्य पर बात की। उन्होंने बताया कि पीएलपी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमएसएमई के अंतर्गत लक्ष्य 53,800 करोड़ रुपये रखा गया है, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य का 60 प्रतिशत है तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए लक्ष्य 10,750 करोड़ रुपये रखा गया है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ राज्य में अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने राज्य सरकार से हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली व अन्य स्थानों की तर्ज पर अर्बन हाट व जीआई मॉल की स्थापना का अनुरोध किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ श्री जहागिरदार ने 55 उद्यमियों को 800 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की और राज्य सरकार को जलाशय में फ्लोटिंग सौर पैनल स्थापित करने और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए आवासीय कॉलोनी में मेधा डेयरी जैसे कियोस्क स्थापित करने का सुझाव दिया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने महिला स्वयं सहायता समूहों के समक्ष प्रमाणीकरण के अभाव का मुद्दा सभा के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि समूहों के द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पाद के लिए, इन समूहों को विपणन के लिए **FSSAI, HACCP** के प्रमाणीकरण की आवश्यकता उपलब्ध कराने कि बात कही, जो उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती। श्री जहागीरदार ने राज्य के विभिन्न समूहों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (**Common Service Centre)** की उपलब्धता का सुझाव दिया राज्य सरकार को दिया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ 89वीं एसएलबीसी बैठक में माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए बिंदु का उल्लेख करते हुए मुख्य महाप्रबंधक ने राज्य सरकार को एक विशिस्ट योजना लाने का सुझाव दिया जिसके तहत राज्य सरकार वैसी महिलाओं के लिए गारंटी प्रदान कर सके जो **Collateral Security** प्रदान करने में असमर्थ हैं, विशेष रूप से आदिवासी महिला, साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार को कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करने के लिए राज्य वित्त निगम (**State Finance Corporation)** की स्थापना करने का भी सुझाव दिया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन

❖ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने अपने संबोधन में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ ऋण जमा अनुपात में सुधार पर बात की। उन्होंने 31.12.2024 तक राज्य का ऋण जमा अनुपात 51.13 प्रतिशत तक लाने के लिए सभी हितधारकों की सराहना की, जो 3-4 साल पहले लगभग 24 प्रतिशत था। उन्होंने पुरी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थानीय बोर्ड बैठक के बारे में जानकारी दी जहां प्रतिष्ठित बोर्ड ने राज्य के ऋण जमा अनुपात में आई सुधार की सराहना कि।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ 89वीं एसएलबीसी बैठक में बैंकों द्वारा लिए गए संकल्प का उल्लेख करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि पिछली बैठक में सभी बैंकों ने सामूहिक रूप से सदन को मार्च 2025 तक ऋण जमा अनुपात को 55 प्रतिशत तक करने का आश्वासन दिया था। श्री सिंह ने बैंकों द्वारा उक्त आश्वासन पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि सभी बैंक मिलकर मार्च 2025 तक उपरोक्त प्रतिशत के आंकड़े को हासिल कर लेंगे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री सिंह ने राज्य में एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 618 करोड़ रुपये की वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रतिशत के आधार पर राज्य में एनपीए स्तर में कमी देखी जा सकती है किन्तु समग्र रूप से एनपीए में वृद्धि हुई है जो बैंकों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बैंकों से राज्य में गुणवत्तापूर्ण वित्तपोषण पर ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ क्षेत्रीय निदेशक ने बैंक ऑफ इंडिया की पहल की सराहना की, जहां बैंक ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर केसीसी प्राप्त करने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए एक पुस्तिका बनाई है। उन्होंने सभी बैंकों से इस तरह के विचारों को विकसित करने का अनुरोध किया ताकि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर केसीसी प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ केसीसी के तहत Collateral Free ऋण की सीमा 1.60 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का उल्लेख करते हुए, श्री सिंह ने राज्य सरकार से नीति में बदलाव करने का अनुरोध किया, जहां भूमि कब्जा प्रमाण पत्र की आवश्यकता

की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक की जा सकती है, जिससे राज्य के ऋण जमा अनुपात को सुधार लाने में भी मदद मिलेगी

(एक्शन-राज्य सरकार)

❖ क्षेत्रीय निदेशक ने सदन को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से फरवरी माह में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है, जहाँ पिछली वर्ष युवा वर्ग को केंद्र में रख गया था, वहीं इस वर्ष इस साक्षारता सप्ताह के केंद्र बिन्दु में महिलाएं को रखा गया हैं। श्री सिंह ने राज्य में महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि महिलाएं सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की योग्यता रखती हैं, किन्तु बढ़ती अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, और इस बढ़ती डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि राज्य में एसएचजी ऋण अच्छी संख्या में हैं और इन समूहों में एनपीए कम है, जो दर्शाता है कि महिलाएं अच्छी संख्या में वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं और अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन भी कर रही हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री सिंह ने सदन को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर की जा रही पहल के बारे में जानकारी प्रदान की तथा बताया कि ऐसी ही एक पहल स्वच्छ मुद्रा नीति है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य में बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही है। उन्होने बताया की ये पहल किसी भी राज्य द्वारा पहली बार की गई पहल है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से सिक्का वितरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है तथा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि फटे हुए नोटों को स्वच्छ नोटों से बदला जा सकता है। उन्होंने स्वच्छ मुद्रा नीति के तहत बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ क्षेत्रीय निदेशक ने सदन को बताया कि 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 90 शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने और विद्यार्थियों को सावधानियों की मूल बातें, बचत व्यवहार, विद्यार्थी किस प्रकार निवेश कर सकते हैं, शिक्षा ऋण सुविधा और उसका उपयोग कैसे करें, आदि विषयों पर जानकारी देने का संकल्प लिया है जिसे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आरबीआई द्वारा "***वित्तीय जागरूकता, सबकी आवश्यकता***" विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विद्यार्थियों से उक्त विषय पर लिखने को कहा गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वित्तीय समावेशन के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने सभी हितधारकों से इस प्रकार की वित्तीय समावेशन पहल के संचालन के लिए अपना समर्थन जारी रखने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ श्री सिंह ने सदन को बताया कि 24 से 28 फरवरी तक भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करने जा रहा है, जिसके बाद 03 मार्च से 10 मार्च तक डिजिटल जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

च) मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री अशोक कुमार पाठक का सम्बोधन-

❖ राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री अशोक कुमार पाठक ने कहा कि एस.एल.बी.सी. की 90वी बैठक में दो कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति राज्य के समग्र विकास में बैंकों की महत्ता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में राज्य की क्षमता नाबार्ड के राज्य फोकस पेपर में परिलक्षित है, जहां 60

प्रतिशत क्षमता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आवंटित की गई है। उन्होंने बैंकों से उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजना बनाकर उसे हासिल करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ मुख्य महाप्रबंधक ने बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि बैंकों को उन मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो मामले बैंकों द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं।

एनपीए जोखिम प्रबंधन का उल्लेख करते हुए श्री पाठक ने एनपीए को ***डिफ़ॉल्ट की संभावना और चूक के कारण होने वाले नुकसान के संयोजन*** के रूप में परिभाषित करते हुए बताया कि डिफ़ॉल्ट की संभावना बैंक के हाथ में होती है, यानी डिफ़ॉल्ट क्यों होता है बैंक को इस पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि बैंक राज्य में ऋण हस्तक्षेप बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी साथ ही साथ उन्होने राज्य सरकार से पीडीआर अधिनियम के तहत उनके समर्थन का अनुरोध किया।

उन्होंने आगे कहा कि बैंकों का मुद्दा उन उधारकर्ताओं से संबंधित है, जिनके पास ऋण चुकाने की क्षमता है, किन्तु वे स्वेच्छा से भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से पीडीआर अधिनियम को और अधिक सख्ती से लागू करने योग्य बनाने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं राज्य सरकार)

❖ मुख्य महाप्रबंधक ने झारखंड राज्य में पीएमजेडीवाई खातों के तहत बैंकों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और कहा कि राज्य में लगभग 60 प्रतिशत आबादी पीएमजेडीवाई खातों के माध्यम से कवर की जा चुकी है। उन्होने बैंक को पीएमजेडीवाई खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित रखने कि सलाह दी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री पाठक ने RSETI का मुद्दा उठाया तथा प्रायोजक बैंक से अनुरोध किया कि वे संस्थानों के प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं तथा RSETI के बीच समन्वय स्थापित होने की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षुओं को ऋण अनुशासन के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके साथ ही उन्हें वित्तपोषित भी किया जा सके। उन्होंने पाथवे संस्थान की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें ये संस्थान क्षेत्र की मांग के आधार पर अभ्यर्थियों, विशेषकर आदिवासियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने प्रायोजित बैंकों को सलाह दी कि वे इस प्रकार के संस्थानों के साथ जुड़ें तथा सभी नियुक्ति संस्थानों को RSETI के साथ जोड़ें, ताकि राज्य के विकास को गति प्रदान की जा सके।

(एक्शन- समस्त RSETI प्रायोजित बैंक)

❖ श्री पाठक ने स्वयं सहायता समूहों के खातों के ऋण आकार में वृद्धि के बारे में बात की और कहा कि राज्य में स्वयं सहायता समूह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए बैंको को समूहों के ऋण आकार में वृद्धि की जानी चाहिए, साथ ही बैंकों द्वारा दिये गए ऋण का एसएचजी द्वारा सही उपयोग की जा रही है इसे भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ मुख्य महाप्रबंधक ने झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर बात की और बैंकों से आग्रह किया कि वे स्वयं को इसके अंतर्गत नामांकित कराएं तथा उक्त योजना के तहत वित्त पोषण शुरू करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ अंत में, श्री अशोक कुमार पाठक ने एसएलबीसी को सुझाव दिया कि वह कार्यवाही रिपोर्ट को बिजनेस सत्र की स्लाइड में रखें।

(एक्शन- एसएलबीसी)

छ) माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की का सम्बोधन-

❖ माननीय कृषि मंत्री ने सुझाव दिया कि सभी हितधारकों को एसएलबीसी कि बैठक में विशेष रूप से सरकार की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं के लिए की कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है साथ ही साथ उन्होने एसएलबीसी से प्रस्तुति में एटीआर को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।

(एक्शन- समस्त हितधारक एवं एसएलबीसी)

❖ श्रीमती तिर्की ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, जिसमें बैंक ने किसानों को जागरूक करने की पहल की कि वे केसीसी ऋण में शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने बैंकिंग धोखाधड़ी से ग्राहकों को कैसे बचाया जाए, इस पर कुछ बिंदु जोड़ने का सुझाव दिया।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने सदन में वित्तीय साक्षरता का मुद्दा उठाया और कहा कि सदन को एक उचित कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक लोंगों को वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक किया जा सके।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ व्यापार सत्र में प्रस्तुति का उल्लेख करते हुए, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उक्त प्रस्तुति में बताया गया कि झारखंड राज्य में दिसंबर 2024 तक अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन घनत्व (**Density**) बढ़कर 6923 प्रति लाख नामांकन हो गया है। उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि वे अटल पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय औसत प्रति लाख घनत्व सभा के समक्ष अगली बैठक में प्रदान करें ताकि राष्ट्र के आंकड़ों के साथ तुलना की जा सके।

(एक्शन- एसएलबीसी)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने राज्य में कृषि क्षेत्र में बैंकों की 14.58 प्रतिशत उपलब्धि का मुद्दा उठाया, जिसे 18% के बेंचमार्क से अधिक होनी चाहिए और जानना चाहा कि सरकार द्वारा केसीसी ऋण माफी करने के बावजूद बैंक द्वारा केसीसी ऋणों का **refinance** क्यूँ नहीं किया जा रहा है इसके साथ ही उन्होने बैंकों को कृषि ऋण बढ़ाने और केसीसी ऋणों के **refinance** के लिए अपनी रणनीति प्रदान करने की कहा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने लैम्पस और पैक्स के लिए **Working Capital** की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से 4000 से अधिक लैम्पस और पैक्स हैं, उन्होंने बैंकों से इन लैम्पस और पैक्स को **working capital** के रूप में ऋण प्रदान करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने सदन में लैम्पस और पैक्स का मुद्दा उठाया और कहा कि सहकारी बैंक ने वर्ष 2011 में लैम्पस और पैक्स को किसानों के लिए पहचानकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए कहा था और अब जब ये किसान अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो बैंक लैम्पस और पैक्स के खाते से वसूली राशि काट रही है।

महाप्रबंधक नाबार्ड ने माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए उपरोक्त बिंदु का उत्तर दिया और कहा कि 2011 में सहकारी बैंक सीधे किसानों को वित्त पोषण नहीं कर रहे थे, वे किसानों की ओर से सीधे लैम्पस और पैक्स को वित्त पोषण करते थे, इसलिए, बैंक के ग्राहक किसान नहीं बल्कि लैम्पस और पैक्स होते थे।

माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग और नाबार्ड को इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि यह मुद्दा किस वर्ष का है और क्या किसानों की केवल पहचान के लिए लैम्प्स और पैक्स का इस्तेमाल किया जाता

था या वे किसानों को ऋण वितरित करने के लिए एक चैनल के रूप में काम करते थे। मुख्य नाबार्ड ने विशेष सचिव कृषि विभाग से अनुरोध किया कि वे आगे की कार्रवाई के लिए नाबार्ड को उपरोक्त डेटा उपलब्ध कराएं।

(एक्शन- नाबार्ड एवं कृषि विभाग)

❖ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने आरबीआई के नए दिशानिर्देशों का हवाला दिया-, जिसमें **Collateral Free** कृषि ऋण की सीमा **1.60** लाख रुपये से बढ़ाकर **2** लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार राजस्व विभाग से इस बारे में अधिसूचना जारी करने का आग्रह करेगी, जिससे राज्य के किसानों को मदद मिल सके।

(एक्शन- कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग, झारखंड सरकार)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने नाबार्ड द्वारा वितरित किए जा रहे अनुदान के बारे में बात की और इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार के पास झामकोफेड लिमिटेड, सिधोकेफेड लिमिटेड जैसी सहकारी शीर्ष समितियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उन्होंने नाबार्ड से आग्रह किया कि वह इन शीर्ष समितियों से संपर्क कर ये देखें की राज्य सरकार के साथ मिलकर उन्हें कैसे लाभ पहुँचाया जा सकता है।

(एक्शन- नाबार्ड)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने सदन में नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत स्टेट फोकस पेपर की सराहना की और बताया कि नाबार्ड सक्रिय रूप से चिन्हित क्लस्टर जहाँ कृषि और संबद्ध गतिविधियों में अधिक संभावनाएं हैं वैसी जगह पर नाबार्ड द्वारा कार्यशाला और सेमिनार आयोजित कि जाती रही है। उन्होने नाबार्ड से सेमिनार आयोजित करने का अनुरोध किया, जो सरकार के साथ-साथ कृषि से सीधे जुड़े लोगों के लिए भी सहायक होगा।

(एक्शन- नाबार्ड)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने इमली के बीज का मुद्दा उठाया, जहां इमली के बीज निकाल कर और इमली की आपूर्ति अन्य राज्यों में की जाती है। उन्होंने कहा कि असंगठित कचरा (**Unorganized Waste**) एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर राज्य में अभी तक काम नहीं हुआ है। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि, राज्य आने वाले समय में इस क्षेत्र का किस तरह से उपयोग कर सकता है, इस पर एक रणनीति तैयार करने कि आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ अंत में, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा **State Finance Corporation** की स्थापना के बारे में उठाए गए बिंदु का उल्लेख करते हुए, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने नाबार्ड से उपरोक्त विषय पर अधिक विस्तार से चर्चा करने और सरकार के समक्ष प्रस्ताव देने का आग्रह किया।

(एक्शन- नाबार्ड)

ज) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर का सम्बोधन-

❖ माननीय वित्त मंत्री ने अपने सम्बोधन में बताया कि वर्तमान सरकार राज्य में भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन और राज्य की आर्थिक वृद्धि में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री किशोर ने पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के बढ़े हुए ऋण जमा अनुपात पर चर्चा की तथा 31.12.2024 तक ऋण जमा अनुपात 51.13 प्रतिशत होने पर बैंकों को बधाई देते हुए कहा कि बैंकों को अधिकतम ऋण जमा अनुपात वाले राज्य पर ध्यान केन्द्रित करते हुए झारखंड राज्य का ऋण जमा अनुपात उस स्तर तक लाने का प्रयास करने की बात बताई।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय वित्त मंत्री ने पिछले 22 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही एसएलबीसी बैठक के बारे में बात कि साथ ही साथ कहा कि पिछले 22 वर्षों में बैंकों की सभागिता से विकास दर में कितना आगे बढ़ा है, माननीय वित्त मंत्री ने इस बात की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने वित्त विभाग के विशेष सचिव और राज्य में कार्यरत बैंकर्स को सुझाव दिया कि राज्य और केंद्र प्रायोजित योजना से राज्य का विकास और 22 वर्षों में बैंक द्वारा राज्य के आर्थिक विकास में भूमिका को देखने का सुझाव दिया ताकि राज्य कि जनता के समक्ष बैंकों कि भूमिका के बारे में बताया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं वित्त विभाग)

- श्री राधा कृष्ण किशोर ने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के वित्तपोषण के बारे में मुद्दा उठाया तथा बैंकों से आग्रह किया कि वे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की तरह अपनी स्वयं की योजनाएं लेकर आएं, ताकि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने बैंकों से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अपनी ब्याज दरें कम करने का भी आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- अंत में, माननीय वित्त मंत्री ने एसएलबीसी बैठक के दौरान उठाए गए बिंदुओं के निष्पादन पर मुद्दा उठाया और कहा कि एसएलबीसी बैठक में उठाए गए बिंदुओं को हितधारकों द्वारा तत्काल निष्पादित किया जाना चाहिए साथ ही साथ उन्होने आश्वस्त किया कि बैठक में राज्य सरकार के लिए उठाए गए बिंदुओं पर सरकार बैंकर्स के सहयोग करने के लिए तत्पर है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

झ) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री पी आर राजगोपाल का सम्बोधन-

- बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने एसएलबीसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में 1.50 लाख करोड़ रुपये के अग्रिम में से लगभग 62 प्रतिशत अग्रिम शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं, जो दर्शाता है कि झारखंड राज्य में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में व्यापार करने को और ज्यादा आसान बनाने के लिए संबंधित नीति बनाई जानी चाहिए।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर का उल्लेख करते हुए श्री राजगोपाल ने कहा कि लगभग 70 प्रतिशत राज्य कि जनसंख्या कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है, जिनमें से 34 प्रतिशत नियमित कृषि कार्य में लगे हुए हैं तथा शेष कृषि मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं तथा उन्होंने बैंकों से उपर्युक्त क्षेत्र के अंतर्गत वित्त पोषण करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री राजगोपाल ने बैठक में नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना का उल्लेख किया और कहा कि राज्य में सूक्ष्म उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों के समक्ष अपार संभावनाएं है। उन्होंने आगे कहा कि **PMEGP** और **PMMY** ऐसी योजनाएं हैं जिन पर बैंकों ध्यान केन्द्रित करने कि आवश्यकता है इसके साथ ही उन्होने कहा कि बैंकों को एनपीए पर अंकुश लगाने के लिए आवेदन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए चयन करना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ कार्यकारी निदेशक ने सदन को कृषि तथा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत हो रहे एनपीए के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में 70 प्रतिशत कृषि किसान खाद्यान्न उत्पादन में लगे हुए हैं और शेष अन्य कृषि गतिविधियों में। उन्होंने कहा कि क्यूंकि खाद्यान्न गतिविधि में झारखंड राज्य में उत्पादकता, मूल्य निर्धारण, विपणन और खरीद की कम गुंजाइश है, इसलिए इस क्षेत्र में एनपीए होने की संभावना भी बढ़ जाती है। श्री राजगोपाल ने विविधीकरण पर जोर दिया और बैंकों से आग्रह किया कि वे नाबार्ड द्वारा तैयार पीएलपी के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री राजगोपाल ने बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ऋण प्रदान करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब भी ऋण जमा अनुपात में बढ़ोतरी होती है, तो यह देखा जाता है कि प्राथमिकता क्षेत्र की तुलना में गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि अधिक होती है। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत वित्तपोषण के प्रति सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का आग्रह किया तथा बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म ऋणों के वित्तपोषण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ सभा अध्यक्ष ने बैंकों से कृषि संबद्ध गतिविधियों और क्षेत्र आधारित योजनाओं के लिए अधिक वित्तपोषण करने पर जोर दिया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के भाषण का हवाला देते हुए श्री राजगोपाल ने कहा कि लगभग 70 प्रतिशत तसर रेशम का निर्यात झारखंड राज्य से होता है किन्तु बैंकों द्वारा इसके तहत ऋण अनुदान नगण्य है और जिससे संबन्धित डाटा एसएलबीसी के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एसएलबीसी को क्षेत्र-आधारित योजना डेटा रखने की सलाह दी ताकि इसे बैंकों और राज्य सरकार के साथ साझा कर इसपर चर्चा की जा सके।

(एक्शन- एसएलबीसी)

❖ कार्यकारी निदेशक ने झारखंड राज्य में भंडारण सुविधा की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड राज्य, देश के कुल सब्जी उत्पादन में 7 प्रतिशत का योगदान देता है, किन्तु, राज्य में भंडारण सुविधा की कमी के कारण सब्जियों का बड़ा हिस्सा खराब/बर्बाद हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में कोल्ड स्टोरेज बनाने की बहुत गुंजाइश है और बैंकों से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस इत्यादि के लिए अधिक वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री राजगोपाल ने सदन को बताया कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित कुछ राज्य सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन बैंकों का कारोबार लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का है तथा सभी राज्य सहकारी बैंक लाभ में चल रहे हैं। श्री राजगोपाल ने सुझाव दिया कि झारखंड में भी राज्य सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार और नौकरशाहों द्वारा उचित नियंत्रण और निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि झारखंड में राज्य सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार हो सके।

(एक्शन- राज्य सरकार, नाबार्ड एवं सहकारी बैंक)

❖ श्री राजगोपाल ने पुनः सभी बैंकों से नाबार्ड द्वारा तैयार पीएलपी पर ध्यान केंद्रित करने और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना को प्राप्त करने को प्राथमिकता देने तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र आधारित योजनाएं विकसित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री सी एच गोपाला कृष्णा ने एस.एल.बी.सी की 90वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(मनोज कुमार)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

90 वीं एसएलबीसी बैठक, दिसम्बर 2024

14 फ़रवरी 2025, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची□

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	श्री राधा कृष्ण किशोर	वित्त मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
2	श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की	कृषि मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
3	श्री पी आर राजगोपाल	कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
4	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
5	श्री अंजनी कुमार ठाकुर	निदेशक	वित्त विभाग , भारत सरकार	
6	श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
7	श्री अशोक कुमार पाठक	मुख्य महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
8	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, एसएलबीसी	
9	श्री अमित कुमार`, भा॰प्र॰से	विशेष सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	
10	श्री संजीव कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया,रांची अंचल	
11	श्री गौतम कुमार सिंह	महाप्रबंधक	नाबार्ड	
12	श्री पी आर झा	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	
13	श्रीमती अनामिका शर्मा	उप महाप्रबंधक	आरबीआई	
14	श्री सनी	प्रबंधक	आरबीआई	
15	श्री राजन पांडा	प्रबंधक	आरबीआई	
16	श्री प्रदीप हजारी	विशेष सचिव	कृषि झारखंड राज्य सरकार	
17	श्री विजय कुमार सेठी	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395611
18	श्री मुकेश मिश्रा	प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395612
19	श्री सी एच गोपाल कृष्ण	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया एसएलबीसी	9440837450
20	श्री सुजीत कुमार साहू	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	7599324615
21	श्री प्रबोध कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	7520201560
22	श्री आर सी गोयल	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
23	श्री पियूष मोदी	मुख्य प्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291878
24	श्री राम स्वरूप सरकार	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9163730750
25	श्री मनीष कुमार	सहायक महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9814755858
26	श्री हेमंत कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	9801491770
27	श्री मनीष कुमार	उप महाप्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	8925952845
28	श्री नितिन कुमार बंका	सहायक महाप्रबंधक (उप क्षेत्रीय प्रमुख)	पंजाब नेशनल बैंक	8252423469
29	श्री प्रभास बोस	महाप्रबंधक और राज्य प्रमुख	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9669288088
30	श्री देवेश मित्तल	उप महाप्रबंधक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9971981001
31	श्री कमलेश कुमार मंडल	सहायक महाप्रबंधक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8002504680
32	श्री धीरेंद्र कुमार	मुख्य प्रबंधक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6200445070
33	श्री शशि कांत	उप महाप्रबंधक-उप क्षेत्रीय प्रमुख	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8806678811
34	श्री बिवाश कुमार मिश्रा	सहायक महाप्रबंधक (उप क्षेत्रीय प्रमुख)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9304547670
35	सुश्री शिखा चौधरी	क्षेत्रीय प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9971149208
36	श्री आदित्य कुमार	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	9697121900
37	श्रीमती भावना सिन्हा	क्षेत्रीय प्रबंधक	यूको बैंक	9835600823
38	श्री हरिचंद मुर्मू	क्षेत्रीय प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
39	श्री रमन श्रीवास्तव	सी.टी.ओ	धनबाद सेंट्रल को-ऑप बैंक	9798027478
40	श्री मदन मोहन बारीयार	अध्यक्ष	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9304118032
41	श्री दिलीप कुमार	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	8084173101
42	श्री शशि भूषण मिश्रा	एसडीआर, झारखंड	एनएसीईआर	9330792100
43	श्री चंद्र भूषण पांडेय	राज्य नियंत्रक	एनएआर, एमओआरडी	9073396646
44	श्री एस के चौधरी	बैंकिंग प्रोफेशनल	एनएसएसएचओ रांची	9760245415
45	श्री धीरज	एसपीएम-एफआई	जेएसएलपीएस,आरडीडी	8969170434
46	श्री अनिल कुमार	एसएनओ आरएसईटीआई	जेएसएलपीएस,आरडीडी	9431901016
47	श्री शंभू प्रसाद यादव	उप निदेशक	मत्स्य पालन विभाग	7903097749
48	श्री राजकुमार गुप्ता	महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9204756198
49	श्री दिलीप कुमार	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	8084173101
50	श्री निरज कुमार	एवीपी	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7488560271
51	श्री नितेश कुमार	एवीपी	एक्सिस बैंक लिमिटेड	9771416906
52	श्री अशुतोष सिंह	डीवीपी वरिष्ठ शाखा प्रमुख	बंधन बैंक	
53	श्री मनीष कुमार सिन्हा	शाखा प्रमुख	डीबीएस बैंक	8102361625
54	**अनुपस्थित**		**फ़ेडरल बैंक लिमिटेड**	
55	श्री नवनीत गांधी	डीवीपी	एचडीएफसी बैंक	9934011083
56	श्री सैयद शब्बीर	क्षेत्रीय प्रमुख-झारखंड	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
57	श्री रोहित कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	8767352490
58	श्री सुधांशु कुमार	सहायक प्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9993294706
59	सुश्री अदिति घोष	शाखा प्रमुख	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	9835708422
60	श्री शेखर	क्लस्टर प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9939737077
61	**अनुपस्थित**		**जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड**	
62	श्री वी विजय कुमार	क्षेत्रीय प्रमुख-झारखंड	करूर वैश्य बैंक	7013843335

63	श्री कार्तिक . के	एवीपी-1	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	8861682164
64	श्री दिवाकर प्रसाद	वरिष्ठ प्रबंधक	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड	8328492453
65	श्री अरुण वी मोहन	सहायक उपाध्यक्ष	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9048874928
66	श्री शिव प्रिय	क्लस्टर हेड	यस बैंक	7979962010
67	**अनुपस्थित**		**आरबीएल बैंक**	
68	श्री फरहान जलिली	मुख्य प्रबंधक	जाना लघु वित्त बैंक	7280073087
69	श्री शैलेन कुमार हलदार	शाखा विकास प्रबंधक	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7542035157
70	**अनुपस्थित**		**उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड**	
71	**अनुपस्थित**		**ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड**	
72	श्री उत्तम कुमार रॉय	सहायक महाप्रबंधक	एयू लघु वित्त बैंक	9471307457
73	श्री शैलेन्द्र झा	राज्य निदेशक	फिनो पेमेंट्स बैंक	9955996520
74	श्री विक्रम कुमार	सहायक निदेशक	एयरटेल पेमेंट्स बैंक	7541049105
75	श्री बिराज डेका	सहायक महाप्रबंधक	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	9038224956
76	सुश्री अल्पना शर्मा	सहायक प्रबंधक	सिटी यूनियन	9959607525
77	श्री मुकुल पी एक्का	सहायक प्रबंधक	सिडबी	7759811384
78	सुश्री शोभा रानी केरकेटा	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	8002895858
79	श्री मांगे राम	राज्य निदेशक	केवीआईसी	9530722141
80	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9474059775
81	श्री रवि शंकर	सहायक महाप्रबंधक	नाबार्ड	9920543432
82	श्री प्रजक्त धवाले	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	9422825190
83	लेफ्टिनेंट कमांडर रोहित मिश्रा	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	7702061577
84	श्री मृत्युंजय बक्शी	डीडीएम चतरा	नाबार्ड	9654396091
85	श्री गीतेश कुमार झा	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	8587829222
86	सुश्री मोनिका दास	डीए	नाबार्ड	9199222210
87	सुश्री शिवानी रोशन	डीडीएम खूंटी	नाबार्ड	8002011690
88	सुश्री नीतू कुमारी	डीडीएम रांची	नाबार्ड	7895857989
89	सुश्री दीपिका प्रियंका	डीडीएम रामगढ़	नाबार्ड	7091194666
90	सुश्री अंजलि लकरा	एसएलपीएम	उद्योग निदेशालय	7043021312
91	सुश्री पूनम रानी	एसपीएमयू	उद्योग निदेशालय	7004964481
92	श्री बिष्णु सी पारिदा	सीओओ	जेएसएलपीएस	9939221549
93	श्री हरि प्रसाद बियानी	अध्यक्ष बैंकिंग समिति	जेएसआईए	8002685608
94	श्री शिवम सिंह	सचिव	जेएसआईए	9835334399
95	श्री आबिद हुसैन	एलडीएम बोकारो	बैंक ऑफ इंडिया	8451978491
96	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	एलडीएम चतरा	बैंक ऑफ इंडिया	8340133328
97	श्री संजीत कुमार	2ND LINE धनबाद	बैंक ऑफ इंडिया	7667341713
98	श्री संतोष कुमार	एलडीएम पूर्वी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया	7260814454
99	अनुपस्थित	एलडीएम गिरिडीह	बैंक ऑफ इंडिया	8210169991
100	श्री पवन कुमार	एलडीएम गुमला	बैंक ऑफ इंडिया	8879743105
101	श्री राकेश आज़ाद	एलडीएम हज़ारीबाग	बैंक ऑफ इंडिया	7209822572
102	श्री ऋषिकेश कुमार	एलडीएम खूंटी	बैंक ऑफ इंडिया	9661859585
103	श्री निवास किशोर	एलडीएम कोडरमा	बैंक ऑफ इंडिया	9534741185
104	श्री नितिन कुमार	एलडीएम लोहरदगा	बैंक ऑफ इंडिया	8177819118
105	श्री दिलीप महली	एलडीएम रामगढ़	बैंक ऑफ इंडिया	7796504828
106	श्री अजित कुमार	एलडीएम रांची	बैंक ऑफ इंडिया	9007826480
107	श्री बरुण कुमार चौधरी	एलडीएम सरायकेला खरसावां	बैंक ऑफ इंडिया	7903255293
108	श्री सनिज़ मिंज	एलडीएम सिमडेगा	बैंक ऑफ इंडिया	7362843027
109	श्री दिवाकर सिन्हा	एलडीएम पश्चिमी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया	8936802753
110	श्री चन्द्रशेखर पटेल	एलडीएम दुमका	इंडियन बैंक	9074485076
111	श्री चंदन चौहान	एलडीएम गोड्डा	इंडियन बैंक	7781919295
112	श्री संदु समद	एलडीएम देवघर	भारतीय स्टेट बैंक	7992310119
113	श्री एस के रंजन	एलडीएम गढ़वा	भारतीय स्टेट बैंक	9934363709
114	श्री बालादित्य कुमार	एलडीएम जामताड़ा	भारतीय स्टेट बैंक	9470650026
115	श्री राजीव कुमार मंदिलवार	एलडीएम लातेहार	भारतीय स्टेट बैंक	7781011677
116	श्री धनेश्वर बेसरा	एलडीएम पाकुड़	भारतीय स्टेट बैंक	9771438410
117	श्री एंथोनी लियांगी	एलडीएम पलामू	भारतीय स्टेट बैंक	9934363710
118	श्री सुधीर कुमार	एलडीएम साहिबगंज	भारतीय स्टेट बैंक	9771438409
119	श्री आनंद कौशल	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
120	श्रीमती सुनीता कुमारी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
121	श्री राजेन्द्र गुप्ता	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
122	श्री रोशन चौधरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
123	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
124	सुश्री दीक्षा आखोरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
125	श्री अमित दुबे	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
126	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
127	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
128	श्री अश्वनी कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
129	श्री ऋषव श्रीवास्तव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
130	सुश्री शालनी वर्मा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
131	श्री पंकज कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
132	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		